न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–45/2017

कौशल किशोर पाण्डेय उर्फ दरोगा पाण्डेय एवं अन्य..वादीगण

बनाम

चन्द्रशेखर प्रसाद एवं अन्य...प्रतिवादीगण

DATE	**ORDER**	**REMARKS**
18.08.2023	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 21.02.2023 अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 एवं दफा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादीगण का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद के वादी सं0–03 आशा देवी की मृत्यु दिनांक 09.05.2021 को हो गयी है। आशा देवी के पति आशा देवी के मरने के पूर्व ही मर चुके है। मृतक वादी सं0–03 आशा देवी के विधिक वारिसान के रूप में अपनी पीछे एक पुत्र विक्रांत कुमार तिवारी एवं एक पुत्री चाँदनी मिश्र को छोडकर मरी है। अतः वादपत्र से वादी सं0–03 आशा देवी का नाम कलमजद करने तथा मृतक के स्थान पर उनके विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करने की कृपा करे। जो प्रस्तुत वाद के आवश्यक पक्षकार है। प्रतिवादीगण की ओर से वादीगण के आवेदन का कोई प्रत्युत्तर दाखिल नही किया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के वादी सं0–03 आशा देवी की मृत्यु हो गई है जिसे प्रतिवादीगण भी स्वीकार करते है। वादीगण द्वारा अपने आवेदन के समर्थन में शपथपत्र भी दाखिल किया है।	

न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–45/2017

कौशल किशोर पाण्डेय उर्फ दरोगा पाण्डेय एवं अन्य..वादीगण

बनाम

चन्द्रशेखर प्रसाद एवं अन्य...प्रतिवादीगण

लगातार 18.08.2023	वादीगण का आवेदन समय सीमा से दाखिल नही किया गया है फिर भी न्यायहित में वादीगण का आवेदन मो0–500/– रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है तथा कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि वह वादपत्र से मृत वादी सं0–03 आशा देवी का नाम कलमजद करें तथा आवेदनानुसार मृतक के विधिक प्रतिनिधियों का नाम प्रतिस्थापित करें। वाद दिनांक 19.09.2023 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	